रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

RailTel Corporation of India Ltd.

लाभांश वितरण नीति

DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

{सेबी (SEBI) (दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकता का सूचीकरण) विनियमन, 2015 के विनियम 43क के अनुसार}

{Pursuant to Regulation 43A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015}

लाभांश वितरण नीति

1. प्रस्तावना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (" **सेबी** ") ने दिनांक 08.07.2016 की अपनी अधिसूचना के द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित (" **लिस्टिंग विनियम** ") में सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता सूचीकरण) विनियम, 2015 में विनियम 43 क को सम्मिलित किया है, जिसके लिए लाभांश वितरण नीति (" **नीति** ") तैयार करने के लिए बाजार पूंजीकरण पर आधारित (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को गणना) शीर्ष पांच सौ (500) सूचीबद्ध प्रविष्टियां अपेक्षित हैं जिन्हें उनकी वार्षिक रिपोर्ट में और उनकी वेबसाइटों पर दर्शाया जाएगा।

चूंकि, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (" **रेलटेल " या " कंपनी** ") स्टॉक एक्सचेंज में अपने इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के माध्यम से एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) शुरू करने की प्रक्रिया में है, उक्त विनियमन समान रूप से रेलटेल पर लागू हो सकता है।।

लिस्टिंग विनियमों के विनियम 43 क के अनुसार, कंपनी ने एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है। रेलटेल के निदेशक मंडल ने 26/09/2020 को आयोजित बैठक में इस नीति को मंजूरी दी। यह नीति 26/09/2020 से प्रभावी होगी। इस नीति को रेलटेल की लाभांश वितरण नीति (" **नीति** ") के रूप में जाना जाएगा।

2. नियामक / नीति संरचना

(i) नीति को खासतौर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (अधिनियम), और सूचीबद्ध विनियमों के अनुरूप तैयार किया गया है;

(ii) निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय द्वारा जारी "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन" पर दिशा-निर्देश पर विचार करके;

(iii) कोई अन्य कानून, विनियम, दिशानिर्देश, लागू सीमा तक।

3. नीति के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

(i) इस नीति का उद्देश्य कंपनी के मौलिक मूल्य में वृद्धि करना है, जो कंपनी के शेयरधारकों के बीच वितरित किए जाने वाले लाभ की मात्रा के आधार पर एक वार्षिक लाभांश भुगतान सुनिश्चित करता है, जो कंपनी के अस्तित्व को बनाए रखने और विकास योजनाओं के लिए आंतरिक संग्रहण के अविनियोजन की आवश्यकता को संतुलित करता है।

(ii) कंपनी की प्रतिबद्धता अपने सभी हितधारकों को स्थायी मूल्य देने की है।

(iii) कंपनी लगातार लाभांश का भुगतान करती रही है और यह प्रवृत्ति भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है जब तक कि कंपनी आगे सूचीबद्ध कारकों में से किसी के कारण लाभांश घोषित करने में असमर्थ हो।

(iv) कंपनी निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है।

4. इस नीति का उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य निम्नलिखित मापदंडों को मोटे तौर पर निर्दिष्ट करना है:

(i) वे परिस्थितियां जिनके अंतर्गत शेयरधारक कंपनी से लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं;
(ii) वे वित्तीय पैरामीटर जिन्हें लाभांश घोषित करते समय ध्यान में रखा जाएगा;
(iii) वे आंतरिक और बाह्य कारक जिन्हें लाभांश की घोषणा के लिए विचारणीय माना जाएगा;
(iv) नीति जिसके अनुसार अर्जित आय का किस तरह से उपयोग किया जाएगा और;
(v) विभिन्न वर्गों के शेयरों के संबंध में अपनाए जाने वाले पैरामीटर।

बशर्ते कि अगर कंपनी i) से v) खंडों के अलावा मापदंडों के आधार पर लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करती है या ऐसे अतिरिक्त मापदंडों को बदलने का प्रस्ताव करती है या किसी भी पैरामीटर में निहित लाभांश वितरण नीति को कंपनी अपने परिवर्तनों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट और अपनी वेबसाइट पर समान के लिए तर्क का खुलासा करेगी।

क. परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।

कंपनी अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान करती रही है और भविष्य में भी जारी रहने की उम्मीद है, जब तक कि नीचे यथा वर्णित वित्तीय और अन्य आंतरिक और बाह्य कारकों के कारण कंपनी को लाभांश घोषित करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। कंपनी लाभांश के माध्यम से पुरस्कृत शेयरधारकों के बीच एक संतुलन बनाने का लक्ष्य रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कंपनी के विकास और अन्य जरूरतों के लिए पर्याप्त लाभ बरकरार रहे।

इसके अलावा, हालांकि कंपनी डीआईपीएएम (DIPAM),भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है। तथापि, कंपनी विभिन्न वित्तीय मापदंडों, नकदी प्रवाह की स्थिति और भविष्य के विकास के लिए आवश्यक धन के विश्लेषण के बाद कम लाभांश का प्रस्ताव कर सकती है।

ख. लाभांश घोषित करते समय वित्तीय पैरामीटर पर विचार किया जाएगा।

डीआईपीएएम (DIPAM), भारत सरकार के दिनांक 27.05.2016 द्वारा जारी "सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग" पर दिशानिर्देशों के अनुसार, जिसमें प्रत्येक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (CPSE) को कर उपरान्त लाभ (PAT) के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का 30% या शुद्ध संपत्ति के 5%, जो भी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमन्य अधिकतम लाभांश के अध्यधीन है का भुगतान करना अनिवार्य किया गया है, कंपनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (CPSE) होने के नाते लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है। फिर भी, सीपीएसई से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिनियम के अंतर्गत अनुमन्य अधिकतम लाभांश का भुगतान कर सकता है, जिसके तहत एक सीपीएसई की स्थापना की गई है, जब तक कि निम्नलिखित वित्तीय पैरामीटर पर विचार करने के बाद कम लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के स्तर पर मामले के आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं हो :

(i) लाभ और अनुमानित लाभप्रदता;
(ii) कंपनी की शुद्ध संपत्ति और उधार लेने की क्षमता;
(iii) प्रति शेयर उपार्जन;
(iv) दीर्घकालिक उधार;
(v) कैपेक्स / व्यवसाय विस्तार की जरूरत;
(vi) सीएपीईएक्स की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे लाभ उठाने के लिए लाभ का प्रतिधारण; तथा
(vii) नकद और बैंक शेष।

ग. लाभांश घोषित करते समय आंतरिक और बाहरी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए

(i) विस्तार और अन्य अवसरों पर विचार करते हुए पूंजीगत व्यय आवश्यकताएं।
(ii) उधार लेने के स्तर और उधार लेने की क्षमता
(iii) वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत की लागत और उपलब्धता।
(iv) मैक्रोइकॉनॉमिक और व्यावसायिक स्थिति
(v) विनियामक मानदंड
(vi) कोई भी अन्य प्रासंगिक कारक जो लाभांश घोषित करने से पहले बोर्ड को विचार करने के लिए उपयुक्त हो सकता है।

घ. प्रतिधारित आय का उपयोग

उपलब्ध धन का बेहतर उपयोग करने और लंबी अवधि में हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए बोर्ड अपनी आय को प्रतिधारित कर सकता है। कंपनी की प्रतिधारित आय के उपयोग का निर्णय निम्नलिखित कारकों पर आधारित होगा:

(i) कंपनी के व्यवसाय और संचालन के विकास के लिए पूंजी और राजस्व व्यय।
(ii) डीआईपीएएम दिशानिर्देशों के अनुसार बोनस शेयर जारी करना या शेयरों को वापस खरीदना ।
(iii) कोई अन्य उद्देश्य जिसे बोर्ड उचित समझे।

ड़. विभिन्न वर्गों के शेयरों के संबंध में अपनाए जाने वाले पैरामीटर

रिकॉर्ड की तारीख पर, कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। चूंकि कंपनी ने समान वोटिंग अधिकारों के साथ केवल एक वर्ग के इक्विटी शेयरों को जारी किया है, इसलिए कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के पात्र हैं। किसी भी नए वर्ग के शेयरों के जारी होने के समय की प्रकृति और दिशा-निर्देशों के आधार पर इस नीति पर उपयुक्त रुप से विचार किया जाएगा।

5. स्थिति संबंधी आवश्यकताएँ

बोर्ड एक वर्ष विशेष के दौरान लाभांश भुगतान का निर्णय लेते समय, डीआईपीएएम (DIPAM), भारत सरकार के दिनांक 27.05.2016 द्वारा जारी "सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग" दिशा-निर्देशों पर कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए नियमों की अपेक्षाओं और लागू अन्य सभी कानून का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

6. लाभांश भुगतान की प्रणाली एवं टाइमलाइन

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश का निर्धारण बोर्ड द्वारा विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और नीति में पहले से लागू किए गए अन्य आंतरिक और बाह्य कारकों पर विचार करके किया जाएगा।

(ii) अंतरिम लाभांश (ओं), यदि कोई हो, अंतिम लाभांश के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा घोषित किया जा सकता है।

(iii) लागू कानूनों के अध्यधीन, अंतरिम लाभांश का भुगतान बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर रिकॉर्ड तिथि पर लाभांश प्राप्त करने के पात्र शेयरधारकों को किया जाएगा।

(iv) अंतिम लाभांश के लिए सिफारिश, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा, जो कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के अध्यधीन, वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार-विमर्श और अनुमोदन करता है सामान्यतः बोर्ड की बैठक में किया जाता है ।

(v) लागू कानूनों के अध्यधीन, अंतिम लाभांश का भुगतान रिकॉर्ड तिथि पर लाभांश प्राप्त करने के पात्र शेयरधारकों को सदस्यों द्वारा अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(vi) अंतरिम लाभांश का भुगतान शेयरधारकों के संपुष्टि के अध्यधीन होगा।

7. इस नीति का प्रकटीकरण

नीति का प्रकटीकरण कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में और साथ ही कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा , जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के अंतर्गत आवश्यक है और सूचीबद्ध नियमों या किसी अन्य कानून के अंतर्गत आवश्यक हो सकता है।

8. समीक्षा

इस नीति की समय-समय पर विनियामक संशोधनों के अनुरुप यथा आवश्यक समीक्षा / परिवर्तन के अध्यधीन होगी। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पास इस नीति के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने, किसी भी प्रावधान को एक नए प्रावधान के साथ स्थानापन्न करें या समय-समय पर नियामक संशोधनों के अनुसार इस नीति को पूरी तरह से एक नई नीति के साथ बदलने की शक्ति होगी और उसे बोर्ड के सूचनार्थ उनके समक्ष रखा जाना चाहिए।

***